प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01234/2021-2022

दिनांक 01/09/2021

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/MAH/07310/2021-2022 पत्रावली संख्या:G-38749 दिनांक:2005-2006

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **त्रिपाठी एजूकेशनल सोसाइटी, निचलौल जनपद- महराजगंज, महाराज गंज, 273304** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1306/2005-2006 दिनांक-01/02/2006 को दिनांक-01/02/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1400 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(Ajay Kumar Shahi)
0097FB1C47DF3F7B5BB0589C12A76E5CD27FC364
Date: 01/09/2021 11:20:24 AM, Location: Gorakhpur.

जारी करने का दिनांक-01/09/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

Priyanka
PRINCIPAL
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

PRIESIDENT
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये | FIVE RUPEES

रु.5 | Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH | 01AA 316090

[illegible] त्रिपाठी एजुकेशनल सोसाइटी
निचलौल
[illegible] महाराजगंज [illegible] जी०38749
[illegible] स्मृति न्यास [illegible]

[illegible]

[illegible]
13/02/06

Priyanka

PRINCIPAL
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

PRESIDENT
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01AA 316091

त्रिपाठी एजूकेशनल सोसाइटी

नि. चलौल

महराजगंज जी०38749

निपमावली

Priyanka

PRINCIPAL
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

13/02/06

PRIESIDENT
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

स्मृति–पत्र

१. संस्था का नाम — त्रिपाठी एजूकेशनल सोसाइटी

२. संस्था का पता — निचलौल, जिला महाराजगंज, उ०प्र०

३. संस्था का कार्यक्षेत्र — समस्त उत्तर प्रदेश

४. संस्था का उद्देश्य —

१. निम्न स्तर से उच्च स्तर तक के विद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

२. भारतीय परिवेश में बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था हेतु सी.बी.एस.ई, नई दिल्ली दिल्ली, मा. शि. प. (उ.प्र), आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करना, प्रबन्ध करना एवं उनका संचालन करना।

३. संस्था द्वारा संचालित संस्थानों के छात्रों व संस्था के सदस्यों के लिए नि:शुल्क वस्त्र, भोजन, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, चिकित्सा, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, हॉस्टेल, पुस्तकालय, वाचनालय, खेल–कूद मैदान, स्वीमिंग पूल और —— सम्भव सुविधाएं उपलब्ध कराना।

४. संस्था अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े तथा गरीब अशिक्षित लोगों को स्वावलम्बी बनाने के लिये सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, टाइप, आशुलिपि, कम्प्यूटर —— का क्रियात्मक ज्ञान करायेगी।

५. संस्था का उद्देश्य निर्धन अनाथ निराश्रित लोगों के कल्याण व उनके शारीरिक विकास व देखभाल के लिये नि:शुल्क अरोग्यशाला की स्थापना कर उनकी सेवा करना तथा उन्हें विभिन्न संक्रामक बीमारियों से बचाने का नि:शुल्क प्रयास करना।

६. बच्चों में खेल–कूद के प्रति अच्छी भावना जागृत करना, उन्हें नये प्रकार के खेल उपकरणों की जानकारी देना तथा उन्हें खेल के प्रति उत्साहित कर राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेने के लिये तैयार करना।

८. समिति, एच.आर.डी., वर्ड बैंक, डब्लू.एच.ओ., रेडक्रास, बाल एवं महिला कल्याण, शिफ्सा, कपार्ट, नॉवार्ड, शिक्षा विभाग से जानकारी प्राप्त करना।

(1)

कैलाशी देवी

मीरा देवी

Priyanka

PRINCIPAL
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

उर्मिला

कुसुम

त्रिलोकीनाथ

PRIESIDENT
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

Satya Prakash

भोला दुबे

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम पता पद एवं व्यवसाय दिये गये हैं जिन्हें कि इस संस्था का नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्रम सं.	नाम	पता	पद	व्यवसाय
१.	श्रीमती कैलाशी देवी पुत्री श्री राजदेव शुक्ला	ग्राम पोखर भिण्डा, पो० भेडिया जिला महाराजगंज	अध्यक्ष	समाजसेविका
२.	श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री विप्रेश त्रिपाठी	ग्राम पोखर भिण्डा, पो० भेडिया जिला महाराजगंज	उपाध्यक्ष	गृहणी
३.	श्री जी० एन० त्रिपाठी पुत्र श्री रूद्रनाथ त्रिपाठी	निचलौल, जिला महाराजगंज	प्रबन्धक / सचिव	व्यापार
४.	श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री सुरेश शुक्ला	ग्राम व पोस्ट मोरवन राम कोल जिला कुशीनगर	उपसचिव	समाजसेविका
५.	श्रीमती कुशुम देवी पुत्री श्री राजदेव शुक्ल	ग्राम व पोस्ट मोरवन राम कोल जिला कुशीनगर	कोषाध्यक्ष	समाजसेविका
६.	श्री मधूसूदन त्रिपाठी पुत्र श्री राम नरेश त्रिपाठी	ग्राम पोखर भिण्डा, पो० भेडिया जिला महाराजगंज	सदस्य	समाजसेवा
७.	श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री गिरिजेश मणि	निचलौल, जिला महाराजगंज	सदस्य	व्यापार
८.	श्री बजरंगी पाण्डे पुत्र श्री मोलई पाण्डे	ग्राम व पोस्ट मोरवन राम कोल जिला महाराजगंज	सदस्य	कृषि
९.	श्री त्रिलोकी नाथ पुत्र श्री झकरी पाण्डे	चौरिहवा, ठूठीबारी, जिला महाराजगंज	सदस्य	व्यापार
१०.	श्री सत्य प्रभाकर चौबे पुत्र श्री युगुल किशोर चौबे	ग्राम व पोस्ट निबुआ रायगंज जिला कुशीनगर	सदस्य	व्यापार
११.	श्री भोला प्रसाद दुबे पुत्र श्री चन्द्रिका दुबे	सिसवा गोपाल खडडा जिला कुशीनगर	सदस्य	समाजसेवा

६. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि उपरोक्त स्मृति–पत्र एवं संलग्नक नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधि. २१ सन् १८६० के अन्तर्गत एक समिति का पंजीयन कराना चाहते हैं।

हस्ताक्षर सदस्यगण

मीरा देवी कैलाशी देवी 31.1.06.

(2)

उर्मिला कुसुम बजरंगी पाण्डे त्रिलोकी नाथ भोला दुबे

PRINCIPAL
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
13/02/06

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता
13/02/06

PRIESIDENT
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

नियमावली

१. संस्था का नाम – त्रिपाठी एजूकेशनल सोसाइटी

२. संस्था का पता – निचलौल, जिला महाराजगंज, उ०प्र०

३. संस्था का कार्यक्षेत्र – समस्त उत्तर प्रदेश

४. संस्था का उद्देश्य – संलग्नक स्मृति–पत्र के अंकितानुसार

५. संस्था का सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग

जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते होगे एवं निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं चन्दा देगें वे इस संस्था के सदस्य बनाये जा सकेंगे।

जो निम्न वर्ग के होंगे –

संरक्षक सदस्य – जो सज्जन इस संस्था को १००१/– रु. दान स्वरूप निस्वार्थभाव से देगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य होंगे। और उनका पद आजीवन रहेगा।

आजीवन सदस्य– जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त ५००१/– रु. दान स्वरूप निस्वार्थभाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे।

सामान्य सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को १०१/– रु. वार्षिक सदस्यता शुल्क या चंदा के रूप में दिया करेंगे वे इस संस्था के सामान्य सदस्य होंगे।

विशिष्ट सदस्य– ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, जनप्रतिनिधि सदस्यों, को जो संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करेंगे, वर्तमान कार्यकारिणी ऐसे सदस्यों को दो वर्ष के लिये संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगें। उनकी स्वैच्छा से दिया गया दान, चंदा संस्था को स्वीकार होगा। ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधिकार होगा।

सदस्यता की समाप्ति –

१. सदस्य की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया घोषित होने पर।
२. आचरण नष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर।
३. किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर।
४. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर।
५. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण के बताये अनुपस्थित रहने पर।
६. किसी सदस्य के विरूद्ध २/३ बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर।
७. सदस्य द्वारा त्याग–पत्र दिये जाने व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वत: ही समाप्त मानी जावेगी।

७. संस्था के अंग – (अ) साधारण सभा, (ब) कार्यकारिणी समिति।

Priyanka कैलाशी देवी (3)

PRINCIPAL
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

उर्मिला

PRESIDENT
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

- 2 -

८. साधारण सभा — (अ) गठन—साधारण सभा का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर किया जावेगा।

(ब) बैठकें — साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर आहूत की जावेगी।

(स) सूचना—अवधि—साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम १५ दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यो को ३ दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से दी जावेगी।

(द) गणपूर्ति—गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के २/३ सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा। कोरम के अभाव में स्थिगित बैठक पुनः पूर्व ऐजेण्डा विषय पर बुलाई गई बैठक में कोरम की ~~कोई~~ आवश्यकता ~~न~~ होगी।

(य)विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि—

संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तय की जावेगी।

(र) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य —

१. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का समय—समय पर चुनाव सम्पन्न कराना।

२. नियमों विनियमों से संशोधन परिवर्तन आम सभा के २/३ बहुमत से करना।

३. वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना।

९. प्रबन्धकारिणी समिति — (अ) गठन—कार्यकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा में से बहुमत से कम से कम ११ सदस्यों को चुनकर किया, कार्यकारिणी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे और अधिक से अधिक प्रबन्धकारिणी समिति की संख्या साधारण सभा के २/३ बहुमत से कभी भी आवश्यकानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है जो कम से कम ७ व अधिक से अधिक २१ होगी।

(ब) बैठकें — कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना—अवधि—प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को एक दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी।

(द) गणपूर्ति—गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के २/३ सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा कोरम के अभाव में स्थिगित बैठक पुनः अगले दिन निर्धारित स्थान व समय पर पूर्व ऐजेण्डा विषयों पर विचार करने हेतु बुलाई जावेगी जिसमें कोरम की ~~कोई~~ आवश्यकता ~~न~~ होगी।

Priyanka

PRINCIPAL
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

कैलाशी देवी

उर्मिला

कुसुम

PRESIDENT
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति–प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकस्मिक स्थान/पद रिक्त हो जाता है तो उस स्थान की पूर्ति से कार्यकारिणी समिति द्वारा मनोनयन से शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी।

(र) कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य –

१. संस्था के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना।

२. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन, साधारण सभा के उपस्थित सदस्यों के २/३ बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत कराना।

३. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना।

४. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, समाज कल्याण बोर्ड, एवं अन्य संस्थानों, निकायों, प्रतिष्ठानों नागरिक आदि से दान अनुदान चंदा एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के द्वितीय उद्देश्य की पूर्ति एवं चैरिटैबिल कार्यो पर व्यय करना।

५. संस्था के विकास हेतु उपईकाइयों एवं उप समितियों का गठन करनाएवं उनका विधिवत संचालन करना।

(ल) कार्यकाल–कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होगा।

१० पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –

अध्यक्ष–

१. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना।

२. मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना।

३. संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना व संस्था की आम देखभाल करना।

उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना, सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना।

प्रबन्धक/सचिव–

१. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना, व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना।

२. संस्था के कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करना व उसका प्रचार–प्रंसार करना।

३. संस्था के विकास हेतु वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था के विकास में सहायक हो करना।

४. संस्था के अन्तर्गत संचालित शिक्षा संस्थानों/विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निस्कासन पदोन्नति एवं पदच्युत करना, वं उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।

Priyanka कैलाशी देवी (5)

उर्मिला

कुसुम

PRINCIPAL
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

PRIESIDENT
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Naga

५. संस्था की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान, अनुदान, चंदा व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना, प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना।

६. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।

७. संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण, अनुदान, पत्रों, चैकों, ड्राफ्टों बन्धक विलेखों बिल–बाऊचरों पर हस्ताक्षर करना।

उपसचिव – प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना, सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना।

कोषाध्यक्ष –

१. संस्था के आय–व्यय लेखा जोखा रखना एवं समस्त आय–व्यय बही पत्रों को तैयार करना।

२. संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान, अनुदान, व चंदा आदि प्राप्त करना।

३. अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कार्य करना व बिल बाऊचरों का भुगतान करना।

११. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया – संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवध नि सोसा. रजि. अधि. की संगत धारा के अन्तर्गत उपस्थित साधारण सभा के २/३ बहुमत से करना।

१२. संस्था के कोष एवं लेखा व्यवस्था – संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जावेगा जिसका संचालन संस्था के अध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

१३. संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट)–संस्था के लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा कराया जावेगा।

१४. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व

१. संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के अध्यक्ष अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी।

२. संस्था आयकर अधिनियम की धारा ८० जी, १२–ए के लिये भी आवेदन करेगी।

३. संस्था एफ.सी.आर.ए. के लिये भी आवेदन करेगी।

१५. संस्था के अभिलेख – १. सदस्यता रजिस्टर, २. कार्यवाही रजिस्टर। ३. कैशबुक, रसीद बुक, एजेण्डा रजिस्टर ४. निरीक्षण रजिस्टर।

१६. प्रतिबन्ध

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय के प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

कैलाशी देवी

Priyanka

उर्मिला

कुसुम

PRINCIPAL
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

PRIESIDENT
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

(ग) विद्यालय में कम से कम १० प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा सचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजूकेशन दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेशन एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता समाप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(ड) संस्था के शिक्षण शिक्षणोत्तर, कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

(ज) शासन की पूर्वानुमति के बिना कोई भी परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन नहीं किया जायेगा।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। यदि हाँ तो प्रन्बधकारिणी का इस आशय का प्रस्ताव [illegible]न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम 'क' से 'झ' तक स्वीकार है।

१७. संस्था का विघटन — संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा १३ व १४ के अन्तर्गत की जावेगी।

सत्यप्रतिलिपि

कैलाशी देवी 31-1-06
अध्यक्ष

प्रबन्धक/सचिव

कुसुम
कोषाध्यक्ष

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स तथा सोसाइटीज
13/02/06

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता
13/02/06

Priyanka
PRINCIPAL
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nag.

PRESIDENT
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

[illegible] 38749
[illegible]
[illegible]

1-2-06

01-02-06

Priyanka
PRINCIPAL
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

PRIESIDENT
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar